

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून**

पत्रांक ३२५ /विकास कार्य/नि०सू०/2026-27

दिनांक 13.05.2026

**ई-निविदा सूचना**

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी०एस०टी० देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार ए श्रेणी के अनुसार टू-बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) के आधार पर आई०एस०बी०टी० देहरादून में निर्माण, शुद्धीकरण एवं उच्चीकरण का निर्माण कार्य हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक [uktenders.gov.in](http://uktenders.gov.in) की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त तकनीकी बिड को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2026 को सांय 2.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। सफल निविदादाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु अलग से सूचित किया जायेगा। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु तालिका में अंकित निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम०डी०डी०ए० के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो बैंक गारण्टी/एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता,म०दे०वि०प्रा० के नाम बन्धक होगी, एवं शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों को उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति एक सील बन्द लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ दिनांक 26.05.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रत्येक दशा में प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग (अभियन्त्रण अनुभाग, चतुर्थ तल)में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ०डी०आर० व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट व अन्य अभिलेख इत्यादि (तकनीकी बिड की स्कैन प्रति) जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी० पी० डब्लू०-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या1197/II (2)/07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 60 दिन मान्य रहेगी।

क्र०	कार्य का नाम	अनु० लागात (लाख)	धरोहर राशि (लाख रू०)	टेन्डर शुल्क (₹)	समय (माहो में)
1	आई०एस०बी०टी० देहरादून में निर्माण, शुद्धीकरण एवं उच्चीकरण का निर्माण कार्य।	2254.42	45.10	5900.00	08

**अन्य नियम एवं शर्तें**

1. [uktenders.gov.in](http://uktenders.gov.in), एवं [mddaonline.in](http://mddaonline.in) की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
2. निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
  - निविदा मूल्य का ड्राफ्ट।
  - निर्धारित धरोहर राशि।
  - निविदा वैधता के सम्बन्ध में रू० 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू० 1.00 के रसीदी टिकट के अलग-अलग नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - निविदा की सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में रू० 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू० 1.00 के रसीदी टिकट के अलग-अलग नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

*Handwritten signature*

- निविदा की लिटिगेशन के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के अलग-अलग नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के अलग-अलग नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - **No Dues** के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के अलग-अलग नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्क्योरिटी जमा करनी होगी।
  4. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
  5. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बेवसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
  6. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0पी0एल0 की गणना कार्य कार्य प्रकृति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग में लागू नियमों के अनुसार होगी।

ॐ

अधिशायी अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

**प्रतिलिपि:-**

- 1-सचिव,/वित्त नियन्त्रक/मुख्य अभियन्ता म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
- 2-प्राधिकरण/नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 3-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 4-आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 6-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

/

अधिशायी अभियन्ता  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।